न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
018/2016 (GCMS 2016/00148)	15.12.2016	30.06.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेंगूँ तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मेघपुरा तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
2. सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बेंगूँ तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
3. चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेघपुरा तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत मेघुपरा को ग्राम मेघपुरा की आराजी संख्या 599 मी. रकबा 1.682 हैक्टर एवं आराजी संख्या 600 रकबा 2.558 हैक्टर किस्म बंजड भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटन होकर आज दिनांक तक गैर–खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त आराजी संख्या 599 मी. रकबा 1.682 हैक्टर एवं आराजी संख्या 600 रकबा 2.558 हैक्टर भूमि नामान्तरणकरण संख्या 46 दिनांक 22.12.1976 से अप्रार्थी संख्या 01 को गैर–खातेदारी से राजस्व रेकार्ड दर्ज की गयी। परन्तु आवंटी ने आज दिनांक तक आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर सम्पुर्ण रकबे पर काश्त व कब्जा नहीं किया है। भूमि मौके पर बिना काश्त के पडत पडी हुई होकर मौके पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी संख्या 600 में (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघपुरा (2) अटल सेवा केन्द्र का भवन (3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का पम्प हाऊस एवं एक नलकूप (4) सार्वजनिक श्मशान होकर शेष भूमि बिला काश्त पडत पड़ी हुई है। दिनांक 24.11.2016 को पटवारी हल्का मेघपुरा द्वारा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने बाबत रिपोर्ट मय पर्चा मौका प्रस्तुत किये जाने पर उनकी रिपोर्ट दिनांक 24.11.2016 अनुसार मामला कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त हेतु प्रस्तुत है। अतः आवंटी सरपंच ग्राम पंचायत मेघपुरा के विरूद्ध नियम 14(4) के तहत कार्यवाही कर खसरा संख्या 599 मी. रकबा 1.682 हैक्टर एवं आराजी संख्या 600 रकबा 2.558 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। मामला श्रीमान के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र पटवारी रिपोर्ट मय मौका पर्चा नकल खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी एवं नामान्तरणकरण ईत्यादि संलग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करा भूमि बिलानाम सरकार कराने की कृपा करावे।

इस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 12.01.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं हाजिर आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि ग्राम पंचायत मेघपुरा को आराजी संख्या 599 एवं 600 कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन हुई थी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आराजी संख्या 599 एवं 600 श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक 493 दिनांक 25.08.2016 को पंचफल वृक्षारोपण कार्य हेतु 42.86 लाख की स्वीकृति जारी होकर उक्त आराजी संख्या ने ग्राम पंचायत 10.00 लाख का व्यय कर निरन्तर कार्य करवाया जा रहा है। इस प्रकार उक्त भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है, अतः आवंटन निरस्त नहीं करने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 1 की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र शाकूज पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया गया कि वर्तमान में आराजी संख्या 600 में जन स्वा. अभि. विभाग उपखण्ड बेंगूँ का एक पंप हाउस (साईज 9 गुणा 10 फीट) एवं एक नलकूप स्थापित है। शहरी जलयोजना पर पुनरूद्धार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस पंप हाउस के पास एक 30 गुणा 30 मीटर का नया पंप हाउस व स्वच्छ जलाशल निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु विभाग द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मेघपुरा को एन0ओ0सी0 हेतु कार्यालय के पत्रांक 161–62 दिनांक 27.09.2016 व 364–65 दिनांक 16.11.2016 को निवेदन किया गया, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा एन0ओ0सी0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं प्रदान की गई। अतः श्रीमान् से पुनः अनुरोध है की राजकीय हित में प्रस्तावित भूमि को गैर खातेदारी पंचायत मेघपुरा से निरस्त कर बिलानाम सरकार करवाया जावें। ताकी शहर बेंगूॅ में पेयजल व्यवस्था अनवरत बनी रहे व भविष्य में इसके अभाव में आने वाले पेयजल संकट से बचा जा सकें। अप्रार्थी संख्या 2 की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड है। दिनांक 25.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बेंगूॅ के पत्रांक/भू0अ0/2021/354 दिनांक 02.04.2021 से मौजा मेघपुरा तहसील बेंगूॅ की मूल नामान्तरकरण पंजिका नामान्तरकरण संख्या 1 से 139 तक प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 30.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 30.06.2021 को राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई एक तरफा बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत मेघुपरा को ग्राम मेघपुरा की आराजी संख्या 599 मी. रकबा 1.682 हैक्टर एवं आराजी संख्या 600 रकबा 2.558 हैक्टर किस्म बंजड भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटन होकर आज दिनांक तक गैर–खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त आराजी संख्या 599 मी. रकबा 1.682 हैक्टर एवं आराजी संख्या 600 रकबा 2.558 हैक्टर भूमि नामान्तरणकरण संख्या 46 दिनांक 22.12.1976 से अप्रार्थी संख्या 01 को गैर–खातेदारी से राजस्व रेकार्ड दर्ज की गयी। परन्तु आवंटी ने आज दिनांक तक आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर सम्पुर्ण रकबे पर काश्त व कब्जा नहीं किया है। भूमि मौके पर बिना काश्त के पडत पडी हुई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर आवंटित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर आवंटन निरस्त फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली समाप्त की गई। इस पर पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा पत्रावलियों पर प्रस्तुत उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों मौजा मेघपुरा तहसील बेंगूॅ की नामान्तरकरण पंजिका के नामान्तरकरण संख्या 46 का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। विद्वान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ द्वारा हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रार्थी जहाँ भूमिधारक है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष आवंटित के आवंटन को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना के साथ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है में प्रार्थी भूमिधारक द्वारा यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त विवादित आराजीयात अप्रार्थी को किस प्रकार से किस सक्षम आदेश से आवंटन किया गया है। एवं प्रार्थी भूमिधारक द्वारा अप्रार्थी के आवंटन आदेश के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। केवल प्रार्थी भूमिधारक द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 22.12.1976 से गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है। एवं अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावें। इस संबंध में प्रार्थी भूमिधारक द्वारा किसी भी प्रकार के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, एवं प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ द्वारा मौजा मेघपुरा की नामान्तरकरण पंजिका प्रस्तुत की गई जो कि रिकार्ड पर है। हमने तहसीलदार बेंगूँ से प्राप्त मूल मौजा मेघपुरा की नामान्तरकरण पंजिका के नामान्तरकरण संख्या 46 को गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। नामान्तरकरण संख्या 46 के अनुसार गत भू प्रबंध का इन्द्राज ग्राम पंचायत मेघपुरा एवं नवीन भू प्रबंध का इन्द्राज का अंकन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 46 के कॉलम संख्या 11 में ग्राम पंचायत मेघपुरा अंकित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 46 प्रमाणित कर कॉलम संख्या 11 के अंकन अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जबकि नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 119 से 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है–

119. Mutation Register.-Mutation register (P-21) is prescribed for the entry of every acquisition of Khatedari/Gair Khatedari right over the land by allotment, transfer or order of any competent court. It also includes insertion of entry which effects correction in Jamabandi (Khatauni) by an order of competent court sale of land, by registered documents surrender of Khatedari rights to the Government, succession, etc. Whenever the Patwari receives a report from a transfer regarding transfer of vested interests over the land as provided under section 133 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 he will make entries in Form P-21A and give a receipt to the transferee to this effect indicating the serial number on which the report has been entered in Form P-21 A. The Patwari will then make entry in the Mutation Register

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

and submit it to the Inspector Land Record 20within 7 days of the receipt of] the information.

120. Entry by patwari.-The Patwari shall, whenever the mutation case is entered in the register, note the serial number and nature of transfer in pencil in the column for remarks of the Jamabandi (Kliewat Khatauni) opposite the appropriate holdings. If and when the mutation is sanctioned, he should make a detailed note in red ink. Serial numbers of 'Fard Badar* entries should also be similarly noted and in order to distinguish them from the serial numbers of mutation the word 'Badar should be added. "Fard Badar" entries will thus be referred to as 1. Badar, 2. Badar, etc., etc.

121. General instructions.-

(i) The mutation register shall consist of a counterfoil and foil. The former is the Patwari's copy of register, while the latter is removed after orders have been passed and sent to the Tehsil to be with the quadrennial Jamabandi. when it has been prepared. The counterfoil of mutations thus sent, shall remain lying with the Office Qanungo for 4 years to be filed with that Jamabandi.

(ii) The Patwari shall make entries in-the column to 7 in a reasonably abbreviated form. In case affecting a number of holdings more specially where there are a large number of co- sharers and onlyone or two have transferred their 'share, the names of co-sharers transferring their shares should be entered in detail and the names of others may be omitted with a note "Baki Indraj Jamabandi Badastoor." The column No. 8 will be filled up when the new Jamabandi has been prepared. If the transferor as shown in column No. 3 sells or mortgages certain field and gives possession to the transferee, the letters name must be shown in column No. 9, a brief explanation of this tenancy be noted in column No. 17. In column No. 9 a brief explanation of this tenancy be noted in column No. 1O to 13, the Patwari shall enter the particulars of land proposed to be transferred and in column No. 14 he shall indicate the cause of such transfer in brief. After Mutation has been disposed of the mutation fee due should be entered in both the foil and counter- foil by the mutation attesting authority in column No. 15. The Patwari shall make entries of demand in column No. 16. It is certified that an entry regarding the affect of this mutation has been made in the Pass Books of both the seller and buyer.]

(iii) The Inspector must attest, by personal examination of the papers concerned, every entry made by the Patwari in the counterfoil & foil noting briefly that he has done so with date below his report in the latter. He must sign the entries in both counterfoil and foil. The Inspector shall within [ten days] of receipt of the patwari's report, forward the papers to the Revenue Officer or other authority empowered to sanction the mutation.

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

(v) The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order giving the number of the fields affected and their total area thus "Dakhil Kharij Numberaii Fallaii Raqba Fallan Manzor Haf" No recital of the facts on which the order is based should be entered in the counterfoil.

(vi) When mutation is refused the Revenue Officer must similarly, pass an order to that effect on the foil and note the facts in the counterfoil. He must sign the entries in the counterfoil after comparing them with those on the foil.

(vii) For the action to be taken with reference to share in the "Shamlat" area the instructions contained in paragraph 126 should be followed Regarding the procedure to be observed in connection with alienations which affected by the relevant sections of the Land Revenue and Tenancy Act the instructions contained in paragraphs 137 and 138 should be observed.

(viii) To save stamp duty and registration fee on deeds relating to the alienations of immovable property, it has become the practice, especially in urban areas, to execute instead of a regular sale-deed, two documents as follows:

(a) a receipt for the payment of the price of the property which is described as having been orally sold together with.

(b) an indemnity bond relating to such oral sale, and then get both these documents registered. Thereafter the sale is reported for mutation proceedings as 'Zabaiii Bazaria Rasid Registri Shuda' with the object of clothing what is essentially an oral transaction with something of the protection attaching to the registration proceedings, hi such case, no 'mention of any receipt or indemnity bond should be made in the mutation proceedings either ifthe Patwari or inspector's report or in the order of the Revenue Officer who should treat such transactions purely/as 'Zabani' and not at'Zabani Rasid Registri Shud.

Any contravention of these instructions by the Patwari and other revenue staff will be severely dealt with.

(ix) The reference in the preceding sub-paragraphs to Revenue Officer shall, wherever powers under section 135 of the Rajasthan Land Revenue Act. 1956, have been delegated to the Village Panchayats be deemed to include the village panchayats.

(x) All mutation cases must be disposed of by the Revenue Officer or the Village Panchayat, as the case may be, in accordance with the procedure laid down in these rules within twenty days of the receipt of the papers, and if any case is not disposed of within this period by a Village panchayat, the Sub-Divisional Officer shall arrange to transfer the same for immediate disposal to the Tehsildar of the Tehsil in whose jurisdiction the land is situated.

(xi) The patwari shall maintain a Check Register in Form No. P-21 A. The date of receipt of written report if any, or the date of taking cognizance of the event

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

suomoto under Section 133 of the Act, the date and serial number of entry in the Mutation Register (P-21), the date of putting up papers to the Inspector Land Records, the date of forwarding papers by the Inspector to the Revenue Officer or other Authority empowered to sanction the mutation, the date of report to the SDO, the date of order passed by him for transfer of papers from the Panchayat to the Tehsildar and date of final sanction shall be recorded in this Register.

हमने नामान्तरकरण संख्या 46 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 46 हल्का पटवारी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 119 के तहत दायर किया जाना प्रतीत होता है, किन्तु उक्त नियमो के तहत नियम 119 के तहत पी–21 नामान्तरकरण दायर किये जाने के लिये सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत की नामान्तरकरण दायर किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही गत भू–प्रबंध से राजस्व रिकार्ड में हुई गलती से किसी इन्द्राज की विलोपित होने से उसे दुरूस्त किये जाने के प्रावधान विधिक प्रकिया के तहत ही किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। इन्द्राज दुरूस्ती के तथ्यों को राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 119 के तहत किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके साथ ही राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है, किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार बेंगूँ द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 46 को स्वीकृत करने में इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ तहसीलदार बेंगूँ द्वारा मौजा मेघपुरा के नामान्तरकरण 46 दिनांक 22.12.1976 को निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना नहीं की गई है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 46 विधि विरूद्ध निर्णित किया गया है।

प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत किया गया है कि एवं न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी संख्या 1 के आवंटन को निरस्त किया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 के आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में प्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार बेंगूँ किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी भूमिधारक का प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में खारीज योग्य प्रतीत होता है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं ठोस दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 22.12.1976 विधि विरूद्ध निर्णित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ तहसीलदार बेंगूँ द्वारा निर्णित मौजा मेघपुरा तहसील बेंगूँ के नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 22.12.1976 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं इस बाबत यह न्यायालय सक्षम है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण/विवेचन के आधार पर भूमिधारक तहसीलदार बेंगूँ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) अदम साक्ष्य खारीज किया जाता है, एवं तहसीलदार बेंगूँ द्वारा निर्णित मौजा मेघपुरा पटवार हल्का मेघपुरा तहसील बेंगूँ का नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 22.12.1976 को भी निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार निहित है तो अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष चारागोही के लिये स्वतंत्र है, इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार बेंगूँ अप्रार्थी संख्या 1 के आवंटन को निरस्त करने हेतु सुंसंगत दस्तावेजों के साथ नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बेंगूँ को पालनार्थ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाचही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.06.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested